



उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ खंडपीठ

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या 566 वर्ष
2026

जीत बहादुर सिंह

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह, सिविल सचिवालय, लखनऊ और अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : निशा श्रीवास्तव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 28

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।

प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत प्रत्यर्थी संख्या 2 को नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं है।

यह तत्काल आवेदन थाना-सुबेहा, जिला-बाराबंकी में पंजीकृत मुकदमा संख्या/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 198 वर्ष 2025 के अंतर्गत धारा 121(1), 121(2), 132, 125(बा), 221, 115(2), 352, 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता और धारा 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम के अंतर्गत, आवेदक की अग्रिम जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए दाखिल किया गया है।

अभियोजन पक्ष के प्रकरण के अनुसार, यह आरोप है कि 10.07.2025 को राजस्व निरीक्षक, एस. डी. एम./सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के दिनांक 05.07.2025 के आदेश के अनुपालन में गठित एक टीम के साथ अपने सरकारी कार्य का पालन करने हेतु घटनास्थल पर गए थे। घटनास्थल पर नामजद अभियुक्तों ने कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर कथित रूप से उनके सरकारी कार्य में बाधा डाली। जब राजस्व निरीक्षक ने उन्हें आदेश दिखाया और उनसे वह जगह छोड़कर चले जाने को कहा, तो अभियुक्तगण ने कथित रूप

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



से उन पर ईंटों, डंडों और लाठियों से हमला कर दिया। इस घटना में राजस्व निरीक्षक के साथ-साथ उप निरीक्षक रूपेंद्र मिश्रा, मुख्य आरक्षी संजीव सिंह और आरक्षी आशुतोष कुमार को चोटें आईं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। आवेदक को वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त विक्रम सिंह को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.3.2026 (संलग्नक संख्या-7) के माध्यम से अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। कुछ सह-अभियुक्तों को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमानत दी गई है, जबकि अन्य सह-अभियुक्तों को इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा नियमित जमानत प्रदान की गई है, जिनकी प्रतियां संलग्नक संख्या-8 के रूप में संलग्न हैं। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है और उसे केवल सामान्य भूमिका सौंपी गई है। आवेदक विवेचना में सहयोग करने का वचन देता है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है। उनका तर्क है कि उप-निरीक्षक रूपेंद्र मिश्रा की प्रगंडिका अस्थि (ह्यूमरस बोन/हाथ की ऊपरी हड्डी) में चोट आई है। यद्यपि शेष घायल व्यक्तियों को सामान्य चोटें आई हैं। यद्यपि वह इस तथ्य से इनकार नहीं करते हैं कि अभियोजन पक्ष के प्रकरण में सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सामान्य आरोप लगाए गए हैं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथ्यों पर उचित विचार करने के बाद कि आवेदक को एक सामान्य भूमिका सौंपी गई है; आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और उसने विवेचना में सहयोग करने का वचन दिया है और बिना कोई ऐसी टिप्पणी किए जिससे प्रकरण के परिणाम पर असर पड़ सकता हो, मेरा यह मत है कि उपर्युक्त तथ्य आवेदक को अग्रिम जमानत देने हेतु पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त के दृष्टिगत, यह प्रावधान किया जाता है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वह गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/विवेचना अधिकारी/संबंधित स्टेशन हेड ऑफिसर की संतुष्टि के अनुसार समान राशि का एक निजी मुचलका और दो जमानतें प्रत्येक समान राशि की प्रस्तुत करे, और यह रिहाई निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

आवेदक आज से बीस दिनों के भीतर विवेचना अधिकारी के समक्ष पेश होगा। वह विवेचना में सहयोग करेगा और गवाह को प्रभावित नहीं करेगा। अभियुक्त-आवेदक तब-तब उपस्थित रहेगा, जब भी संबंधित गिरफ्तार करने वाला अधिकारी विवेचना अधिकारी/संबंधित स्टेशन हेड ऑफिसर विवेचना/पूछताछ हेतु उसे बुलाएगा। आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत छोड़कर नहीं जाएगा।

आवेदन स्वीकार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



30 मार्च 2026

शुक्ला

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।